



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092022-238612
CG-DL-E-05092022-238612

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3974]
No. 3974]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2022/भाद्र 14, 1944
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2022/BHADRA 14, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2022

का.आ. 4155(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा 'हरियाणा विद्युत नियामक आयोग', (पैन:-AAAGH0072G), हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 (1998 का हरियाणा अधिनियम सं. 10) के तहत संस्थापित आयोग को उस आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के तहत प्राप्त शुल्क;
 - (ख) सरकारी अनुदानों और ऋण और विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के तहत प्राप्त शुल्क पर प्राप्त ब्याज;
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग :-
- (क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;
 - (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 और 2026-2027 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 108/2022/फा. सं. 300196/25/2022-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2022

S.O. 4155(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Haryana Electricity Regulatory Commission' (PAN AAAGH0072G), a Commission constituted under the Haryana Electricity Reform Act, 1997 (Haryana Act No.10 of 1998), in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:

- (a) Fees received under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and
- (b) Interest earned on government grants and loans and fees received under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Haryana Electricity Regulatory Commission: -

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be applicable with respect to the financial years 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 and 2026-2027.

[Notification No. 108/2022/F. No. 300196/25/2022-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.